

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मांग संख्या 66

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)												
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	60310.18	60310.18	49.00	30075.55	30124.55	49.00	30146.35	30195.35	2048.00	27110.62	29158.62
पूँजी	1.00	...	1.00	1154.00	...	1154.00	2.00	...	2.00
जोड़	...	60310.18	60310.18	50.00	30075.55	30125.55	1203.00	30146.35	31349.35	2050.00	27110.62	29160.62
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	28.30	28.30
2. इमदाद	2802
2.01 एलपीजी पर इमदाद												
2.01.01 एलपीजी के लिए प्रत्येक लाभ अंतरण	2802	17020.04	17020.04
2.01.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य इमदाद	2802	2742.75	2742.75
2.01.03 परियोजना प्रबंधन व्यय	2802	40.00	40.00
2.01.04 गरीब परिवारों के लिए एलजीपी कनेक्शन योजना	2802	2000.00	...	2000.00
जोड़- एलपीजी पर इमदाद		2000.00	19802.79	21802.79
2.02 मिट्टी का तेल इमदाद												
2.02.01 मिट्टी के तेल के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	2802	50.00	50.00
2.02.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य इमदाद	2802	7094.21	7094.21
जोड़- मिट्टी का तेल इमदाद		7144.21	7144.21
2.03 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रोत्साहन योजना												
2.03.01 मिट्टी के तेल के वितरण में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकदी प्रोत्साहन	3601	50.00	50.00
	3602	1.00	1.00
जोड़		51.00	51.00
2.03.02 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल के	3601	1.00	1.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
लाभार्थियों के लिए नकदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण वाली संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	1.00	1.00
जोड़	2.00	2.00
जोड़- सार्वजनिक विरतण प्रणाली के लिए प्रोत्साहन योजना	53.00	53.00
जोड़- इमदाद	2000.00	27000.00	29000.00
3. राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी का भुगतान	3601	61.71	61.71
4. विनियामक बोर्ड/प्रयोगशाला/संस्थान												
4.01 पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	2802	16.51	16.51
4.02 पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी	2802	2.10	2.10
4.03 राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	2802	47.00	...	47.00
4.04 आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना	2802	1.00	1.00	2.00
जोड़- विनियामक बोर्ड/प्रयोगशाला/संस्थान	48.00	19.61	67.61
5. महत्वपूर्ण तेल आरक्षित भंडार												
5.01 महत्वपूर्ण अशोधित तेल आरक्षित भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	4802	1.00	...	1.00
5.02 महत्वपूर्ण अशोधित तेल आरक्षित भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान - ओ एंड एम	2802	1.00	1.00
5.03 आईएसपीआरएल चरण-2 (केवर्न का निर्माण)	4802	1.00	...	1.00
जोड़- महत्वपूर्ण तेल आरक्षित भंडार	2.00	1.00	3.00
सं.अ. 2015-2016												
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	25.32	25.32	...	27.06	27.06	...	27.06	27.06
7. पेट्रोल पर सस्मिडी												
7.01 एलपीजी पर सस्मिडी												
7.01.01 एलपीजी के लिए डीबीटीएल	2802	21140.00	21140.00	...	21140.00	21140.00
7.01.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य संदाय योग्य सस्मिडी	2802	660.00	660.00
7.01.03 परियोजना प्रबंधन व्यय	2802	200.00	200.00	...	200.00	200.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़- एलपीजी पर सब्सिडी	22000.00	22000.00	...	21340.00	21340.00
7.02	मिट्टी के तेल पर सब्सिडी												
7.02.01	मिट्टी के तेल के लिए डीबीटीएल	2802	1.00	1.00	...	1.00	1.00
7.02.02	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य संदाय योग्य सब्सिडी	2802	7999.00	7999.00	...	7339.00	7339.00
	जोड़- मिट्टी के तेल पर सब्सिडी		8000.00	8000.00	...	7340.00	7340.00
	जोड़- पेट्रोल पर सब्सिडी		30000.00	30000.00	...	28680.00	28680.00
8.	प्रशासित मूल्य तंत्र पथ सब्सिडी और अन्य व्यय												
8.01	सा.वि.प्र. के लिए एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी	2802
8.02	भाड़ा संबंधी सब्सिडी	2802	...	22.82	22.82
8.03	पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता	2802	...	661.00	661.00	1320.00	1320.00
	जोड़- प्रशासित मूल्य तंत्र पथ सब्सिडी और अन्य व्यय		...	683.82	683.82	1320.00	1320.00
9.	राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी का भुगतान	3601	53.80	53.80
10.	पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	2802	...	14.25	14.25	...	16.40	16.40	...	16.40
11.	पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसाइटी	2802	...	1.79	1.79	...	2.09	2.09	...	2.09
12.	संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति												
12.01	संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति	2802	...	57085.00	57085.00
12.02	एलपीजी योजना के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु ओएमसी को भुगतान	2802	...	2500.00	2500.00
12.03	एलपीजी योजना के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय हेतु ओएमसी को भुगतान	2802
	जोड़- संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति		...	59585.00	59585.00
13.	पीडीएस के लिए प्रोत्साहन योजना												
13.01	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केरोसीन लाभार्थियों को सा.वि.प्र. के लिए नकद में सब्सिडी के सीधे अंतरण हेतु प्रोत्साहन योजना	2802
13.02	पीडीएस में मिट्टी के तेल के लाभार्थियों के लिए नगदी इमदाद के	3601	20.00	20.00

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	प्रत्यक्ष अंतरण का संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य को सहायता अनुदान													
13.03	पीडीएस में मिट्टी के तेल के लाभार्थियों के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण का संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	10.00	10.00	
	जोड़- पीडीएस के लिए प्रोत्साहन योजना		30.00	30.00	
14.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपी-टी)	2802	48.00	...	48.00	48.00	...	48.00	
15.	राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीवाईएलवीवाई)	2802	
16.	महत्वपूर्ण कच्चे तेल भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	4802	1.00	...	1.00	1153.00	...	1153.00	
16.01	आईएसपीआरएल - चरण 2 (केवर्न का निर्माण)	4802	1.00	...	1.00	
16.02	महत्वपूर्ण अशोधित तेल आरक्षित भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान - ओ एंड एस	2802	47.00	47.00	
	जोड़- महत्वपूर्ण कच्चे तेल भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान		1.00	...	1.00	1154.00	47.00	1201.00	
17.	आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना	2802	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
कुल जोड़			...	60310.18	60310.18	50.00	30075.55	30125.55	1203.00	30146.35	31349.35	2050.00	27110.62	29160.62
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
अन्वेषण एवं उत्पादन														
1.	तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि.	12802	...	29997.46	29997.46	...	36249.37	36249.37	...	31467.45	31467.45	...	29307.20	29307.20
2.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	12802	...	788.77	788.77	...	2304.51	2304.51	...	1335.84	1335.84	...	1734.59	1734.59
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	12802	...	17.61	17.61	...	150.71	150.71	...	27.59	27.59	...	67.02	67.02
4.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	12802	...	1394.55	1394.55	...	1400.00	1400.00	...	1200.00	1200.00	...	800.00	800.00
5.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	12802	...	1816.05	1816.05	...	654.90	654.90	...	2468.15	2468.15	...	1997.75	1997.75
6.	आयल इंडिया लि.	12802	...	12481.07	12481.07	...	3917.64	3917.64	...	11304.68	11304.68	...	11381.89	11381.89

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
7. तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन विदेश लि.	12802	...	7171.55	7171.55	...	10402.00	10402.00	...	8488.00	8488.00	...	14843.00	14843.00
जोड़-अन्वेषण एवं उत्पादन		...	53667.06	53667.06	...	55079.13	55079.13	...	56291.71	56291.71	...	60131.45	60131.45
<i>परिशोधन एवं विपणन क्षेत्र</i>													
8. इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	12802	...	11934.82	11934.82	...	9407.80	9407.80	...	8662.85	8662.85	...	10083.19	10083.19
9. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	2652.00	2652.00	...	1636.64	1636.64	...	1512.19	1512.19	...	1907.24	1907.24
10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	5480.20	5480.20	...	5101.32	5101.32	...	6050.00	6050.00	...	9797.00	9797.00
11. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	465.90	465.90	...	2230.90	2230.90	...	1250.00	1250.00	...	1073.00	1073.00
12. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	12802	...	211.49	211.49	...	115.00	115.00	...	220.90	220.90	...	157.00	157.00
13. मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	12802	...	5559.03	5559.03	...	1764.36	1764.36	...	1213.58	1213.58	...	1828.27	1828.27
जोड़-परिशोधन एवं विपणन क्षेत्र		...	26303.44	26303.44	...	20256.02	20256.02	...	18909.52	18909.52	...	24845.70	24845.70
<i>पेट्रो-रसायन क्षेत्र</i>													
14. इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	12856	...	562.81	562.81	...	346.30	346.30	...	371.91	371.91	...	1691.93	1691.93
15. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12856	4.50	4.50
16. भारत गैस प्राधिकरण लि.	12856	...	1071.93	1071.93	...	400.00	400.00	...	553.00	553.00	...	53.00	53.00
17. मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	12856	...	7494.97	7494.97	...	379.51	379.51	...	648.61	648.61	...	442.48	442.48
18. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	12856
जोड़-पेट्रो-रसायन क्षेत्र		...	9129.71	9129.71	...	1130.31	1130.31	...	1573.52	1573.52	...	2187.41	2187.41
<i>इंजीनियरी क्षेत्र</i>													
19. बामर लारी एंड कंपनी लि.	12858	...	79.79	79.79	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00
20. बीको लारी लि.	12858
जोड़-इंजीनियरी क्षेत्र		...	79.79	79.79	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00
जोड़		...	89180.00	89180.00	...	76565.46	76565.46	...	76874.75	76874.75	...	87214.56	87214.56
ग. योजना परिव्यय													
1. पेट्रोलियम	12802	...	79970.50	79970.50	50.00	75335.15	75385.15	1203.00	75201.23	76404.23	2050.00	84977.15	87027.15
2. पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	...	9129.71	9129.71	...	1130.31	1130.31	...	1573.52	1573.52	...	2187.41	2187.41
3. इंजीनियरी उद्योग	12858	...	79.79	79.79	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00
जोड़		...	89180.00	89180.00	50.00	76565.46	76615.46	1203.00	76874.75	78077.75	2050.00	87214.56	89264.56

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2.01.01. **एलपीजी के लिए डीबीटीएल:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटीएल) योजना के तहत उपभोक्ताओं को एलपीजी नकद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए ओएमसीज को भुगतान।

2.01.02. **पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य राजसहायता:** यह प्रावधान पिछले वर्षों/योजनाओं(भाड़ा राजसहायता,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एलपीजी और मिट्टी तेल के लिए राजसहायता) के बकाया के लिए राजसहायता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए राजसहायता हेतु तेल कंपनियों को भुगतान आदि के लिए किया गया है।

2.01.03. **परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटीएल) एलपीजी योजना के तहत नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए ओएमसीज को भुगतान।

2.01.04. **बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए योजना:** गरीब परिवारों को जीवाश्मक ईंधनों जैसे मिट्टी तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गाय का गोबर, फसल के अपशिष्ट आदि को छोड़कर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बीपीएल परिवारों को मदद उपलब्ध करवाने की एक योजना। बीपीएल परिवारों को नया कनेक्शन उपलब्ध करवाते समय कवर नहीं किए गए राज्यों और पाकेटों खासतौर से देश के पूर्वी भागों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.02.01. **मिट्टी के तेल के लिए डीबीटीएल:** मिट्टी के तेल के संबंध में डीबीटीएल कार्यान्वित करने के लिए एक प्रावधान जिसके तहत राजसहायता की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही अंतरित कर दी जाएगी।

2.02.02. **पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य राजसहायता:** यह प्रावधान पिछले वर्षों/योजनाओं(भाड़ा राजसहायता,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एलपीजी और मिट्टी तेल के लिए राजसहायता) के बकाया तथा पीडीएस मिट्टी तेल विक्री पर अल्प-वसूली हेतु राजसहायता के लिए है।

2.03.01. **मिट्टी तेल वितरण संबंधी सुधारों के लिए राज्यों को नकद प्रोत्साहन:** यह प्रावधान मिट्टी तेल के संबंध में डीबीटी कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए है।

2.03.02. **मिट्टी तेल वितरण संबंधी सुधारों के लिए संघ शासित राज्यों को नकद प्रोत्साहन:** यह प्रावधान मिट्टी तेल के संबंध में डीबीटी कार्यान्वित करने के लिए संघ शासित राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए है।

2.03.03. **राज्यों को पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवसाय तैयार करने के लिए सहायता अनुदान:** पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करने हेतु राज्यों को सहायता अनुदान।

2.03.04. **संघ शासित राज्यों को पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए अनुदान सहायता:** पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करने हेतु संघ शासित राज्यों को अनुदान सहायता।

3. **राज्य सरकारों को अंतरीय रायल्टी का भुगतान:** ब्लाकों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अंतरीय रायल्टी, जो कच्चे तेल पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार दरों और अधिसूचित रायल्टी के बीच का अंतर है, का भुगतान।

4.01. **पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड:** सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 को दिनांक 03.04.2006 को अधिसूचित किया गया था और बोर्ड अपनी स्थापना की तारीख से ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और विक्री कार्य को विनियमित करता है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट कार्यों में लगी हुई कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके।

4.02. **पेट्रोलियम प्रयोगशाला हेतु समिति:** यह प्रावधान (i)पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड, (ii)पेट्रोलियम प्रयोगशाला हेतु समिति, (iii)भारत के अंदर तथा बाहर पेट्रोलियम उद्योग के सभी खंडों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जैस, रायबरेली में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, और (iv)आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत उल्लिखित उपबंधों के अनुसार आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए है।

5.01. **कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** भारत की तेल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आरईएसपीआरएल द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलोर तथा पाडुर में 5.33 एमएमएटी क्षमता के भूमिगत चट्टानी कंदराओं में कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारों की स्थापना की जा रही है। कंदराओं के कूड भरण के लिए प्रावधान किया गया है; इन कंदराओं की प्रचालन और अनुरक्षण लागत; और चरण 2 के अंतर्गत 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ चार स्थानों पर ऐसी कंदराओं का निर्माण किया गया है।

5.02. **कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडार के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान ओ एंड एम:** भारत की तेल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आरईएसपीआरएल द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलौर तथा पाडुर में 5.33 एमएमएटी क्षमता वाली भूमिगत चट्टानी कंदराओं में कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारों की स्थापना की जा रही है। प्रावधान केवल को कच्चे तेल से भर (ii) इन केवर्न की प्रचालन और अनुरक्षण लागत और (iii)12.5 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ चार स्थानों पर चरण-2 के अंतर्गत ऐसी केवर्न के निर्माण के लिए है।

5.03. **आईएसपीआरएल – चरण-II कंदरा का निर्माण:** 12.5 एमएमटी की समुचित क्षमता के साथ चार स्थलों पर कच्चे आ तेल के कार्यनीतिक भंडार के लिए कंदराओं का निर्माण।

सरकारी उद्यमों में निवेश:

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की स्थापना देश के अभितीय तथा अपतीय दोनों क्षेत्रों में पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण तथा संदोहन संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के उद्देश्य से की गई थी। ओएनजीसी तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं का

कार्यान्वयन कर रही है। परिव्यय में भूकंपीय सर्वेक्षणों, अन्वेषणी तथा विकास वेधन, पूंजीगत परियोजनाओं तथा खरीदों, आरएंडडी, जेवीसी घरेलू तथा एकीकरण परियोजनाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड: गैस की स्थापना प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, परिवहन तथा विपणन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में दहेज-विजयपुर पाइपलाइन, झज्जर हिसार पाइपलाइन, बवाना नंगल पाइपलाइन, कम्प्रेकशर स्टेनशन – कलारस, चैनसा, जगदीशपुर हल्दिपया पाइपलाइन, दामोल बंगलूरु पाइपलाइन, कोच्चिर कांजिरक्कोड मंगलोर पाइपलाइन, अन्वेहण व उत्पादन, संयुक्त उद्यम में वैश्वीकरण/इंजिनी भागीदारी, आदि।

हिन्दुमस्तापन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड: कंपनी का प्रमुख उद्देश्य कच्चे तेल का परिशोधन और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन है। कंपनी मुंबई रिफाइनरी में एलओवीएस गुणवत्ता अपग्रेडेशन परियोजना, रामन मंडी बहादुरगढ़ पाइपलाइन, एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड आदि परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.: कंपनी के उद्देश्य मुख्य रूप से कच्चे तेल का शोधन, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और वितरण करना है। कंपनी में अपनी वार्षिक योजना में मुम्बई रिफाइनरी में हाइड्रोक्रैकर का पुनरुद्धार और नये कर्न्टिन्युएस कैटेलिक रिजनरेटेड रिफार्मर स्थापित करने, क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना चरण-II, रिफाइनरी से उरण तक एलपीजी के अंतरण के लिए पाइपलाइन, नई उत्पाद पाइपलाइन और संबंध बुनियादी सुविधाओं, गैस पाइपलाइनों में निवेश, अन्वेषण और उत्पादन, आदि के लिए प्रावधान किए हैं।

इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि.: इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि. आयातित और स्वदेशी कच्चे तेल का शोधन, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और पाइपलाइनों का प्रचालन करती है। गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, पानीपत, हल्दिनया, मथुरा और डिगबोई में इसकी रिफाइनरियां हैं। परिव्यय में पारादीप रिफाइनरी परियोजना, पारादीप-संबलपुर-रायपुर-रांची पाइपलाइन, पानीपत रिफाइनरी की अतिरिक्त विस्तार परियोजना, अपशिष्ट उन्नयन और एमएस/एनएसडी गुणवत्ता सुधार परियोजना, गुजरात रिफाइनरी, एमएस गुणवत्ता सुधार परियोजना, बरौनी रिफाइनरी, आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

आयल इण्डियन लि.: ओआईएल देश और विदेश में तेल के अन्वेषण और उत्पादन के कार्य में संलग्न है। इसने अपनी वार्षिक योजना में सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक वेधन, विकास वेधन, पूंजी उपस्कर और सुविधाओं, एनईएलपी परियोजनाओं, विदेशी उद्यमों, आदि के लिए प्रावधान किए हैं।

ओएनजीसी विदेश लि.: ओएनजीसी-ओवीएल ओएनजीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह विकास रकबों को अर्जित करके अथवा विदेशों में अन्वेषण उद्यमों के माध्यम से विदेशों से इक्विटी तेल लाने के लिए उत्तरदायी है। परिव्यय में वियतनाम, रूस, सूडान, कोलंबिया, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, क्यूबा, ब्राजील, मिस्र, आइवरी कोस्टा, वेनेजुएला और नाइजीरिया, आदि में परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है।

चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.: कंपनी को कच्चे तेल का शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही बड़ी परियोजनाएं सीडीयूज/वीडीयूज का पुनरुद्धार करना, यूरो – IV विनिर्देश को पूरा करने के लिए आटो ईंधन परियोजना, अपशिष्ट उन्नयन परियोजना, आदि हैं।

नुमलीगढ़ रिफाइनरी लि.: यह आईबीपी कं. लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और असम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसने अपनी वार्षिक योजना में सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल, वैक्स परियोजना (लाइन प्रवेश), ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. के लिए प्रावधान किया है।

मंगलूर रिफाइनरी एण्डस पेट्रोकेमिकल लि.: यह ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी है। इसने अपनी वार्षिक योजना में रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार चरण-II, मंगलूर तट पर एसपीएम सुविधा, आदि के लिए प्रावधान किए हैं।

बॉमर लारी एण्डन कंपनी लि.: यह कंपनी ल्यूब्रीकेटिंग ग्रीसों और ल्यूकब बैरलों के विनिर्माण, चाय निर्यात, उत्पादों के विपणन और यात्रा तथा संभार तंत्रीय व्यवसाय में संलग्न है। वार्षिक योजना में निर्यात/आयात/कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों, ल्यूब शोधन/मिश्रण योजना और औद्योगिक ल्यूब्रिकेन्ट्स/ग्रीसों के लिए प्रावधान किया गया है।

बीकोलारी लि.: कंपनी का मुख्य कार्यकलाप विद्युतीय स्विच गियरों का विनिर्माण करना है।